भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3277

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति का लाभ

3277. श्री राजकुमार रोत:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति के समय प्रदान किए जाने वाले पारिश्रमिक, वेतन या अन्य वित्तीय लाभों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान सेवानिवृत्त हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या कितनी है और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें दिए जाने वाले वित्तीय लाभों का राज्य-वार, वर्ष-वार और मद-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करने और उन्हें सरकारी कर्मचारियों के समान सुविधाएं प्रदान करने का है और यदि हां, तो इसके लिए क्या समय-सीमा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र सरकार नीति और नियोजन के लिए ज़िम्मेदार है और राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन क्षेत्रीय कर्मियों की भर्ती और सेवा संबंधी मामलों सहित दिन-प्रतिदिन के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदार हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां और

आंगनवाड़ी सहायिकाएं स्थानीय समुदाय की "मानद कार्यकर्त्रियां" हैं, जो स्थानीय समुदाय की सहायता के लिए बाल देखरेख और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएँ देने के लिए स्वेच्छा से आगे आती हैं, जिसके लिए उन्हें मानदेय दिया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को मानदेय दिया जाता है, जिसमें समय-समय पर वृद्धि की जाती है। भारत सरकार ने दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 से केंद्र और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निर्धारित लागत साझाकरण अनुपात के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 3,000/- रुपये से बढ़ाकर 4,500/- रुपये प्रति माह; लघु- आंगनवाड़ी केन्द्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 2,250/- रुपये से बढ़ाकर 3,500/- रुपये प्रति माह; आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 1,500/- रुपये से बढ़ाकर 2,250/- रुपये प्रति माह कर दिया है। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने संसाधनों से इन कार्यकर्त्रियों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/टॉप अप भी दे रहे हैं, जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है।

इसके अलावा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 500 रुपये और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 250 रुपये प्रति माह का कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित सहित विभिन्न पहल की गई हैं:

I. पदोन्नति: मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पद 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाने हैं और पर्यवेक्षकों के 50% पद अन्य मानदंडों की पूर्ति के अधीन 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं।
II. अवकाश: 20 दिन का वार्षिक अवकाश और 180 दिनों का सवेतन मातृत्व अवकाश, गर्भपात होने पर एक बार में 45 दिनों का सवेतन अवकाश।
III. पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकित कराने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है। यह वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में असंगठित क्षेत्रों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।

IV. सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत, 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये (जीवन जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु शामिल) के जीवन कवर के लिए बीमा लाभ प्रदान किए गए हैं एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत, 18-59 वर्ष के आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये (आकस्मिक मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता)/1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता) का दुर्घटना कवर प्रदान किया गया है।

V. सेवानिवृत्ति की तारीख: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तारीख अर्थात प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल को अपनाएं।

VI. वित्त वर्ष 2024-25 में बजट घोषणा के अनुसरण में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य देखरेख कवरेज प्राप्त है।

(ग): फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****